>

Title: Regarding subsidy to farmers by the National Horticulture Board subsidy scheme - Laid

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत 2014-15 के वित्तीय वर्ष में फल उत्पादक किसानों को 40 प्रतिशत और ग्रीन हाउस (सब्जी और फूल) उत्पादक किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है । जबकि सब्सिडी योजना का लाभ लेने हेतु किसानों द्वारा बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है ।

विगत दो वर्षों से किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है । वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड को 775 करोड़ रूपये का बजट मिला था और यह स्कीम अप्रैल 2018 से शुरू होनी थी, लेकिन बोर्ड प्रबंध निदेशक द्वारा यह बजट स्कीम दिसंबर 2018 में जारी की गई और बजट की कटौती कर मात्र 300 करोड़ रूपये का बजट बनाया गया और शेष 475 करोड़ रूपये का बजट वापस कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया, जिसके कारण देश में केवल 281 किसान ही इस योजना के लाभ हेतु आवेदक कर पाये, इन 281 किसानों में से केवल 12 किसानों के आवेदन का मंजूरी मिली, किन्तु आज तक इन 12 आवेदक किसानों को सब्सिडी नहीं मिली और वित्तीय रूप से किये गये बजट प्रावधान से कुछ भी राशि का उपयोग नहीं हुआ जबकि पिछले तीन वर्षों से पेंडिंग प्रोजेक्ट को इसी 300 करोड़ रूपयों में से 250 करोड़ रूपये मंजूर किये गये ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड द्वारा लागू किये गये अव्यवहारिक नियमों को समाप्त करने और किसानों को पुनः सब्सिडी दिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान करें ।